



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), तमिलनाडु  
“लेखापरीक्षा भवन” 361, अण्णा सालै, तेनाम्पेट, चेन्नै - 600 018.  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), TAMIL NADU**  
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN" 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.



सं/ No.

**No.Pr.AG (Audit-I)/Admn.III/I/2024-25/196**

**Dated: 06.08.2024**

**OFFICE ORDER**

As per Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 in alignment with Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Committee for redressal of complaints of sexual harassment of working women at this office is re-constituted with the following members :

Sl. No.	Name and Designation	Position Held	Contact number
1.	Ms. Sharadha Kannan, Sr. DAG	Chairperson	9741019306
2.	Ms. R. Gayathri, SAO	Member	9445285713
3.	Shri P. B. Ramasamy, SAO	Member	9842984654
4.	Ms. Yasodhai Damodaran	NGO Member	8754493216

2. The committee is entrusted with monitoring of the various principles laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka vs State of Rajasthan and to make periodical report to the Principal Accountant General (Audit-I), Tamil Nadu.

3. The Committee may meet quarterly to ensure that redressal of complaints, if any, on the subject and to review preparedness for prevention and redressal of grievances and abide by any other instructions issued by the Headquarters Office and Competent Authority in this regard from time to time.

(This issues with the approval of the Principal Accountant General (Audit-I))

**Senior Deputy Accountant General/Admn.**

**Copy to**

All Committee Members  
All Group Officers  
All Branch Officers  
All RA Units  
EDP Cell- for uploading the same in the office website  
All Notice Boards

Via e-mail



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), तमिलनाडु  
"लेखापरीक्षा भवन" 361, अण्णा सालै, तेनाम्पेट, चेन्नै - 600 018.  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-1), TAMIL NADU  
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN" 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.



सं. Pr.AG (Audit-I)/Admn. III/I/2024-25/196

दि. : 06.08.2024

**कार्यालय आदेश**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संरक्षण में केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार इस कार्यालय की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित की गई है :-

क्रम.सं.	नाम व पदनाम	ग्रहित पद	संपर्क संख्या
1.	सुश्री शारदा कण्णन, वरि. उप.मले.	अध्यक्ष	9741019306
2.	सुश्री आर. गायत्री, वरि.लेप.अ.	सदस्य	9445285713
3.	श्री. पी. बी. रामस्वामी, वरि.लेप.अ.	सदस्य	9842984654
4.	सुश्री यशोदै दामोदरन	एन. जी. ओ. सदस्य	8754493216

2. समिति को विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों की निगरानी और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) तमिलनाडु को आवधिक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ।

3. समिति ऐसी शिकायतों (यदि कोई), के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए और शिकायतों के निवारण एवं रोकथाम की तैयारी की समीक्षा के लिए तिमाही बैठक करेगी और इस संबंध में समय-समय पर मुख्यालय कार्यालय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य किसी अनुदेशों का पालन करेगी ।

(यह प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के अनुमोदन से जारी है ।)

वरिष्ठ उपमहालेखाकार / प्रशासन

प्रति/-

सभी समिति सदस्य  
सभी वर्ग अधिकारी  
सभी शाखा कार्यालय  
सभी क्षेत्रीय एककों  
ई.डी.पी. कक्ष- कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए  
सभी सूचना पट्टों

ई-मेल द्वारा